न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या – 89/2022
निर्णय दिनांक : 08/07/2022

उनवान

1. भूरा पुत्र ओंकार जाति अहीर
निवासी ग्राम रामपुरा उंती तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

..........प्रार्थी

वनाम

1. प्रकाश पुत्र मोती जाति जाट
2. छीतर पुत्र हरजी जाति जाट
निवासी ग्राम रामपुरा उंती तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर
पता– तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

..........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 692 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 697/1864 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 707 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 708 रकबा 0.3700 हैक्टेयर कुल किता 04 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 1.2100 हैक्टेयर वाके ग्राम रामपुरा उंती पटवार हल्का रामपुरा उंती भू. अभि. नि. क्षेत्र बगरूकंला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, जिसका प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 04–06–2014 को श्रीमान् तहसीलदार जी तहसील सांगानेर के आदेश कमांक/भूअ./14/428–430 दिनांक 21–05–2014 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर किया जा चुका है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थी की उक्त भूमि के पडौसी काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 आये दिन उक्त कृषि भूमि की सीमा पर विवाद करते है, प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि की सीमा पर नाजायज रूप से सीमा विवाद उत्पन्न मौके पर अशांति फैलाते है, इस कारण प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना कानूनन आवश्यक एंव उचित है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है जिसमे वह अपनी आराजीयात के चारों तरफ तारबन्दी/पुख्ता बाउण्डरी आदि कर अपनी आराजीयात को सुरक्षित कर सके तथा भविष्य में सीमाज्ञान के लिए पडौसी काश्तकार से किसी प्रकार का विवाद नही हो, मौके पर शांति कायम हो सकें, इसलिए सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना न्यायाहित में आवश्यक एंव उचित है। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 692 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 697/1864 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 707 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 708 रकबा 0.3700 हैक्टेयर कुल किता 04 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 1.2100 हैक्टेयर वाके ग्राम रामपुरा उंती पटवार हल्का रामपुरा उंती भू. अभि. नि. क्षेत्र बगरूकंला तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या तीन को फरमाने जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:10:26 IST
Reason: SelfAttested

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

5, 2022, 18:43

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेज सूची के साथ प्रमाणित प्रति हाल जमाबन्दी, फोटो प्रति फर्द मौका सीमाज्ञान आदि पेश किये, जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नही हुआ, अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 04.06.2014 को की गई सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्रावली में शामिल मिसल है। प्रकरण में बहस सुनी गयी।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजो का अवलोकन किये जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 692 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 697/1864 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 707 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 708 रकबा 0.3700 हैक्टेयर कुल किता 04 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 1.2100 हैक्टेयर वाके ग्राम रामपुरा उंती पटवार हल्का रामपुरा उंती भू. अभि. नि. क्षेत्र बगरूकंला तहसील सांगानेर जिला जयपुर की फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट आदेश दिनांक 04.06.2014 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। तहसीलदार सांगानेर को आदेश की प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 08/07/20221 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:10:26 IST
Reason: SelfAttested